

## स्कूल-उपरांत प्री-प्रायमरी बच्चों के लिए देखभाल प्रोग्राम [ASCP(PC)]

ASCP  
(PC)

After School Care Programme for  
Pre-primary Children [ASCP(PC)]

### सेवा की प्रकृति

- शुल्क प्री-प्रायमरी बच्चों को शिशु देखभाल प्रदान की जाती है जिनके माता-पिता और देखभालकर्ता स्कूल समय से पहले/बाद में समुचित देखभाल प्रदान करने में असमर्थ हैं
- सेवा उपयोगकर्ताओं को रोचक, रचनात्मक, विकासात्मक और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए समूह / एकल गतिविधियां उपलब्ध करवाई जाएंगी

### सेवा का लक्ष्य

3 से 6 वर्ष कम आयु के बच्चे; या नर्सरी (K1), लोअर (K2) या अपर (K3) क डिगार्टन कक्षाओं / किंडरगार्टन-सह-शिशु देखभाल केंद्रों में जा रहे बच्चे

### सेवा का समय

एक दिन में तीन सत्र खोलते हैं (अर्थात सुबह का सत्र, दोपहर का सत्र, और शाक का सत्र सोमवार से शुक्रवार (सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) कुछ केंद्र उनके संबंधित डिस्ट्रिक्ट की सेवा मांग पर अतिरिक्त सत्र खोलना प्रदान कर सकते हैं (उदाहरण, शनिवार, रविवार या सार्वजनिक अवकाशों के दौरान)

### शुल्क

- शुल्क वसूली स्तर समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित किया जाता है
- वित्तीय कठिनाई का सामना करने वाले जरूरतमंद परिवार शुल्क कटौती / माफी के लिए सेवा संचालकों से सीधे संपर्क कर सकते हैं

### आवेदन

पसंद के केंद्रों पर सीधे आवेदन करें

### Service Nature

- Provide child care services for pre-primary children whose parents or carers are unable to provide proper care to them before / after school hours
- Group / individual activities will be provided to service users to participate in interesting, creative, developmental and social activities

### Service Target

Children aged 3 to under 6; or Children attending nursery (K1), lower (K2) or upper (K3) classes in kindergartens / kindergarten-cum-child care centres

### Service Hours

Opening three sessions a day (i.e. the morning session, afternoon session, and evening session) from Monday to Friday (except public holidays)

Some Centres may provide extra opening sessions (for example, during Saturdays, Sundays or Public Holidays) to meet the service demand of their respective districts

### Fees

- The fee charging level is determined by Social Welfare Department
- Needy families with financial hardship may approach service operators direct for fee reduction / waiving

### Application

Direct application to service operators

NSCCP

## आस-पड़ोस सहायता शिशु देखभाल प्रोजेक्ट (NSCCP)

Neighbourhood Support Child Care  
Project (NSCCP)

### सेवा की प्रकृति

- लचीली शिशु देखभाल सेवाएं प्रदान की जाती है
- सामुदायिक भागीदारी और पड़ोस में आपसी मदद को बढ़ावा देना
- सेवा के घटक: घर पर आधारित शिशु देखभाल सेवा और केंद्र आधारित देखभाल समूह

### सेवा का लक्ष्य

घर आधारित शिशु देखभाल सेवा:

9 वर्ष से कम आयु के बच्चे

केंद्र आधारित देखभाल समूह:

3 से लेकर 9 वर्ष से कम आयु के बच्चे

### सेवा का समय

घर पर आधारित शिशु देखभाल सेवा:

सुबह 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक

केंद्र पर आधारित देखभाल समूह:

सप्ताह के कार्यदिवसों और कुछ सप्ताहांत में 9 बजे तक

### शुल्क

- सेवा संचालकों द्वारा निर्धारित और समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुमोदन अनुसार
- सामाजिक आवश्यकताओं वाले निम्न-आय परिवार शुल्क कटौती / माफी के लिए सेवा संचालकों से सीधे संपर्क कर सकते हैं

### आवेदन

सेवा संचालकों को सीधे आवेदन करें

### Service Nature

- Provide flexible child care services
- Promote community participation and mutual help in the neighbourhood
- Service components: home-based child care service and centre-based care group

### Service Target

Home-based child care service:

Children aged under 9

Centre-based care group:

Children aged 3 to under 9

### Service Hours

Home-based child care service:

7 a.m. to 11 p.m.

Centre-based care group:

Till 9 p.m. on weekdays and some weekends

### Fees

- As determined by service operators and approved by the Social Welfare Department
- Low income families with social needs may approach service operators for fee reduction / waiving application

### Application

Direct application to service operators

पूछताछ Enquiry

समाज कल्याण विभाग की हॉटलाइन : 2343 2255  
SWD Hotline

वेबसाइट : <https://www.swd.gov.hk>  
Website

# दिवस शिशु देखभाल सेवाएं Day Child Care Services



## बच्चों को लावारिस मत छोड़ें

### परिचय

ऐसे माता-पिता की मदद करने के लिए जो काम या अन्य कारणों से अपने छोटे बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते हैं, समाज कल्याण विभाग माता-पिताओं और उनके छोटे बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की शिशु देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान देता है।

## Don't Leave Children Unattended Introduction

To assist parents who cannot take care of their young children because of work or other reasons, the Social Welfare Department subsidises non-governmental organisations to provide different types of child care services to meet the needs of the parents and their young children.

# CCC

## शिशु देखभाल केंद्र (CCC) सेवा

[अकेले CCCs और CCCs के साथ संलग्न किंडरगार्टन (KGs) सहित]

## Child Care Centre (CCC) Service

Including standalone CCCs and CCCs attached to Kindergartens (KGs)

### सेवा की प्रकृति

जन्म से 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों को दिवस देखभाल प्रदान करना

### सेवा का लक्ष्य

जन्म से 3 वर्ष से कम आयु के बच्चे

### सेवा का समय

सोमवार से शुक्रवार : सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक  
शनिवार : सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक

### शुल्क

- अकेले CCCs और KGs के साथ संलग्न CCCs द्वारा वसूल किए जाने वाले सेवा शुल्क को क्रमशः समाज कल्याण विभाग और एज्युकेशन ब्यूरो के किंडरगार्टन और शिशु देखभाल केंद्रों के संयुक्त कार्यालय द्वारा अनुमोदन प्राप्त करना होगा
- पूर्ण-दिवस CCC सेवा प्राप्त करने वाले बच्चों के माता-पिता उनके सहायताप्राप्त CCCs के माध्यम से शिशु देखभाल केंद्र अनुदान (CCCPS) के लिए आवेदन कर सकते हैं। वित्तीय मूल्यांकन आवश्यक नहीं है।
- पूर्ण-दिवस शिशु देखभाल सेवा प्राप्त करने वाले निम्न-आय परिवारों के बच्चे आंशिक कवर के लिए किंडरगार्टन और शिशु देखभाल केंद्र शुल्क छूट योजना (KCFRS) में या संपूर्ण सेवा शुल्क को कवर करने के लिए कामकाजी परिवार एवं विद्यार्थी सहायता एजेंसी (WFSFAA) को आवेदन कर सकते हैं (WFSFAA)

आवेदनकर्ता आवेदन फार्म, मार्गदर्शक नोट्स और संबंधित आवेदन दस्तावेज CCCs से प्राप्त कर सकते हैं जिनमें उनके बच्चे पढ़ रहे / देखभाल सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं और प्रक्रिया करने के लिए WFSFAA को जमा करें। KCFRS की विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया WFSFAA वेबसाइट विजिट करें:

<https://www.wfsfaa.gov.hk/sfo/en/preprimary/kcfr/overview.htm>

### आवेदन

पसंद के केंद्रों पर सीधे आवेदन करें

### Service Nature

To provide day care service to the children aged from birth to under 3

### Service Target

Children aged from birth to under 3

### Service Hours

Monday to Friday : 8 a.m. to 6 p.m.  
Saturday : 8 a.m. to 1 p.m.

### Fees

- Service fees charged by standalone CCCs and CCCs attached to KGs have to be approved by Social Welfare Department and Joint Office for Kindergartens and Child Care Centres of the Education Bureau respectively
- Parents with children receiving full-day aided CCC service can apply for Child Care Centre Parent Subsidy (CCCPS) through their aided CCCs. Financial assessment is not required
- Children from low income families receiving full-day child care service can apply for Kindergarten and Child Care Centre Fee Remission Scheme (KCFRS) to cover part or whole of service fee from the Student Finance Office of the Working Family and Student Financial Assistance Agency (WFSFAA)

The Applicants may obtain application forms, guidance notes and the related application documents from the CCCs in which their children are studying/receiving care services and submit to WFSFAA for processing. For detailed information of KCFRS, please visit WFSFAA website:

<https://www.wfsfaa.gov.hk/sfo/en/preprimary/kcfr/overview.htm>

### Application

Direct applications at the preferred Centres

# OCCS

## समसामयिक शिशु देखभाल सेवा (OCCS)

Occasional Child Care Service (OCCS)

### सेवा की प्रकृति

माता-पिता या अचानक व्यस्तता होने या विभिन्न प्रतिबद्धताओं वाले देखभालकर्ताओं को कुछ अकेले CCCs और KG-सह-CCCs को पूर्ण-दिवस, अर्द्ध-दिवस या दो-घंटों के सत्र आधारित OCCS प्रदान करना

### सेवा का लक्ष्य

अकेले CCCs:

जन्म से 3 वर्ष से कम आयु के बच्चे

KG-सह-CCCs:

जन्म से लेकर / 2 से लेकर 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे

### सेवा का समय

सोमवार से शुक्रवार: सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक  
शनिवार: सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक

### शुल्क

- एक पूर्ण-दिवस सत्र के लिए \$64, एक अर्द्ध-दिवस सत्र के लिए \$32, दो घंटों के सत्र के लिए \$16, भोजन शुल्क अतिरिक्त
- सामाजिक आवश्यकताओं वाले निम्न-आय परिवारों के लिए शुल्क कटौती / छूट

### आवेदन

पसंद के केंद्रों पर सीधे आवेदन करें

### Service Nature

To provide OCCS on full-day, half-day or two-hour sessional basis at some standalone CCCs and KG-cum-CCCs for parents or carers with sudden engagements or various commitments

### Service Target

Standalone CCCs:

Children aged from birth to under 3

KG-cum-CCCs:

Children aged from birth / 2 to under 6

### Service Hours

Monday to Friday : 8 a.m. to 6 p.m.  
Saturday : 8 a.m. to 1 p.m.

### Fees

- \$64 for a full-day session, \$32 for a half-day session, \$16 for a two-hour session, excluding meal charge
- Fee reduction / waiving for low income families with social needs

### Application

Direct applications at the preferred Centres

# EHS

## विस्तारित समय सेवा (EHS)

Extended Hours Service (EHS)

### सेवा की प्रकृति

परिवारों और कामकाजी माता-पिता की सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ अकेले CCCs और KG-सह-CCCs पर लंबे समय तक शिशु देखभाल सहायता प्रदान करना

### सेवा का लक्ष्य

अकेले CCCs:

जन्म से 3 वर्ष से कम आयु के बच्चे

KG-सह-CCCs:

जन्म से लेकर / 2 से लेकर 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे

### सेवा का समय

सोमवार से शुक्रवार: शाम 6 बजे से शाम 7 बजे / शाम 8 बजे  
शनिवार: दोपहर 1 बजे से दोपहर 2 बजे / 3 बजे / शाम 8 बजे

\* अलग-अलग केंद्रों पर सेवा की मांग के आधार पर उनके सेवा के समय में अंतर हो सकता है

### शुल्क

- प्रति घंटा दर \$13 वसूल किया जाता है
- सामाजिक आवश्यकताओं वाले निम्न-आय परिवारों के लिए शुल्क अनुदान

### आवेदन

पसंद के केंद्रों पर सीधे आवेदन करें

### Service Nature

To provide longer hours of child care assistance at some standalone CCCs and KG-cum-CCCs to meet the social needs of families and working parents

### Service Target

Standalone CCCs:

Children aged from birth to under 3

KG-cum-CCCs:

Children aged from birth / 2 to under 6

### Service Hours

Monday to Friday:  
6 p.m. to 7 p.m. / 8 p.m.

Saturday:  
1 p.m. to 2 p.m. / 3 p.m. / 8 p.m.

\* Individual centres may vary their service hours depending on the service demand

### Fees

- Hourly rate is charged at \$13
- Fee subsidy for low income families with social needs

### Application

Direct applications at the preferred Centres

